



130

न्यायालय सम आदरणीय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन.  
प्रकरण क्रमांक- /निगरानी/2017

पार्थी अभिभाषक श्री कैलाश जोशी  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक 01-11-2017  
अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय  
उज्जैन

PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा. 2017/4836 आवेदक

विरुद्ध

- 1.ओंकारलाल पिता चुन्नीलाल धाकड  
निवासी ग्राम सरोदा, तह.जावद जिला नीमच
- 2.मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर  
महोदय, नीमच. .... अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, नीमच जिला  
नीमच के प्रकरण क्रमांक 21/अ-21/2016-17  
में पारित आदेश दिनांक 17.7.2017 से असंतुष्ट  
एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र  
अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता  
के प्रस्तुत हैं।

S.No- 365  
01-11-2017

156  
1-11-17

39



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग अ

कैलाश जोशी

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा./2017/4836....

तहसील: .....

जिला: ....नीमच....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का

प्रकरण : .....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण

क्रमांक: .....

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण

क्रमांक: ....21/अ-21/2016-17,....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण

क्रमांक : .....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: .....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : .....

वाद का विषय: ....निगरानी....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत

प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है : ....म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....नीमच.... । .....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...17/07/2017... के विरुद्ध ...कालूराम ।/ ओंकारलाल, मध्यप्रदेश शासन..।...कैलाश जोशी... के अभिभाषक द्वारा निगरानी - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...22/12/2017...है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।</p> <p>आवेदन अधिकारता श्री कैलाश जोशी अधि. उप. । उन्के द्वारा प्रकरण ससम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस जाटा गया। प्रकरण ससम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।</p>	<p>कैलाश जोशी</p> <p>22-12-17</p>